

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर

क्रमांक-लेखा/मुख्यालय/अनु.सा.वा./2019/

दिनांक

1. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन राजस्थान।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
3. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,

विषय:-अनुपयोगी नकारा स्टोर्स के निस्तारण से प्राप्त आय की सूचना प्रेषित करने बाबत।

संदर्भ:-निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ 5/ नकारा/2018-19/ 2379-2828 दिनांक 20.02.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 6 (1) वित्त/सा0वि0ले0नि0/2015 पार्ट-प्रथम दिनांक 02.04.2018, 21.06.2018, 27.09.2018 एवं 10.01.2019 के द्वारा विशेष अभियान चंचालित कर अधिशेष/ अनुपयोगी/प्रचलित भण्डार सामग्री/ नकारा वाहन का सा0वि0ले0 नियमों के अन्तर्गत निस्तारण के निर्देश प्रदान किये गये थे।

अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि वित्त वर्ष 2018-19 में आपके एवं अधीनस्थ कार्यालयों में अधिशेष/अनुपयोगी/अप्रचलित भण्डार सामग्री/नकारा वाहनो के निस्तारण से प्राप्त राजस्व की सूचना निर्धारित प्रारूप में पत्र प्राप्ति से 07 दिवस के अन्तर्गत आवश्यक रूप से भिजवायें।

अनुपयोगी/नकारा सामान/वाहनों के निस्तारण (पृथक-पृथक) का कार्यालय वाईज संकलित विवरण पत्र वित्तीय वर्ष 2018-19

क्र. सं. 0	विभाग/कार्यालय का नाम	वित्त वर्ष 2018-19 में माह मार्च 19 तक अनुपयोगी एवं नकारा सामान की राशि का कुल पुस्तक मूल्य	वित्त वर्ष 2018-19 में अनुपयोगी एवं नकारा सामान के निस्तारण का कुल पुस्तक मूल्य	वित्त वर्ष 2018-19 में नीलामी से प्राप्त कुल राशि
------------	-----------------------	---	---	---

34

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक-लेखा/मुख्यालय/अनु.सा.वा./2019/173-80

दिनांक 11/5/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, निदेशक, निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. प्रभारी भण्डार अधिकारी, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि मुख्यालय परिसर में अवशेष अप्रचलित/अनुपयोगी सामान/वाहनों का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण करावें।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
6. संक्षिप्त पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर